भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3381

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना

†3381. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी में रेफरल परिवहन, आपातकालीन प्रसूति देखभाल और नवजात शिशु इकाइयों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जलपाईगुड़ी के चाय बागान बहुल ब्लॉकों में वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, रेफरल परिवहन, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या और नवजात शिशु इकाइयों हेतु स्वास्थ्य अवसंरचना सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढी़करण के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही-रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल राज्य को स्वास्थ्य सेवा के सुदृढी़करण के लिए दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75

पश्चिम बंगाल राज्य को एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और विगत तीन वित्त वर्षों अर्थात वर्ष 2024-25; 2023-24; 2022-23 के दौरान स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
पश्चिम बंगाल	8,924.88	10,840.43	8,735.08	20223.75

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत भारत सरकार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिलों सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में रेफरल परिवहन, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या और नवजात इकाइयों सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को कार्यान्वित करती है, जो निम्नानुसार हैं:

- एनएचएम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और रुग्ण शिशुओं के परिवहन हेतु एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। मानकों के अनुसार, 5 लाख की आबादी पर एएलएस और 1 लाख की आबादी पर बीएलएस हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं (एक वर्ष तक की आयु) को सिजेरियन सहित, पूर्णरूप से निःशुल्क और बिना किसी व्यय के प्रसव कराने का अधिकार देता है। इन अधिकारों में निःशुल्क दवाइयाँ, उपभोग्य वस्तुएँ, प्रवास के दौरान निःशुल्क आहार, निःशुल्क निदान, मुफ्त परिवहन और यदि आवश्यक हो तो निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। एक वर्ष तक की आयु के रुग्ण शिशुओं के लिए भी इसी तरह के अधिकार लागू हैं।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसवपूर्व जाँच प्रदान करता है। **विस्तारित पीएमएसएमए** कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं को गुणवत्तापरक प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) सुनिश्चित करती है और सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। इसके लिए चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और पीएमएसएमए के अन्य 3 अतिरिक्त दौरों के लिए आशाकर्मियों को उनके साथ भेजा जाता है।

- **लक्ष्य**, प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापरक परिचर्या मिले।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मौतों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु को निःशुल्क, सम्मानजनक, उचित और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करता है और सेवाओं से इनकार करने पर कोई सहिष्णुता नहीं बरती जाती है।

- **प्रसवोत्तर पश्चात परिचर्या के अनुकूलन** का उद्देश्य माताओं में खतरे के लक्षणों का पता लगाने और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

- गर्भवती महिलाओं के लिए गुणवत्तापरक परिचर्या की सुलभता में सुधार हेतु जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों और रेफरल लिंकेज सुनिश्चित करके **प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)** के संचालन में सहायता करना।

- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च केसलोड सुविधा केन्द्रों पर **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना और प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन चिकित्सा इकाइयों (प्रसूति एचडीयू और आईसीयू) का संचालन।**

- सुविधा आधारित नवजात परिचर्या पहल के तहत, रुग्ण और छोटे नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जलपाईगुड़ी जिले के जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में दो विशेष नवजात परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) और सात नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की गई हैं।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग और दो प्रथम रेफरल इकाइयाँ (एफआरयू) कार्यशील हैं। जलपाईगुड़ी ज़िले में गुणवत्तापरक आपातकालीन प्रसूति परिचर्या प्रदान करने के लिए जून, 2025 तक दो लक्ष्य प्रमाणित प्रसव कक्ष और मातृ ऑपरेशन थिएटर (एमओटी) भी उपलब्ध हैं।

*****